संख्या : 07 /XVII(1)-2/2005-10(07)/2005-टी.सी.

प्रेषक,

मदन सिंह,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-2

देहरादून, 14 मार्च 2005

विषय : विकलांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 हेतु प्राविधानित धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, अपने पत्र संख्या-3281/स.क./वि.क./दु.नि.यो./2004-05, दिनांक 08 फरवरी 2005 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय विकलांगजनों के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में रूपये 6.80 लाख (रूपये छः लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की सशर्त स्वीकृति प्रदान करते हैं-

2. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।

3. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसे व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुगम्यता के आधार पर किया जाएगा तथा अनुमोदित धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

5. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. यह धनराशि इस शर्त के साथ दी जा रही है कि धनराशि का व्यय अनुमोदित परियोजना की सीमा तक ही किया जाए।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों से आवश्यक करा लें। निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राक्कलन निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाए।

8. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाएगा तथा कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

NIC-1574

9 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियो का कल्याण-06-विकलांग जनो के पुनर्वास हेतु दुकान निर्माण योजना" के "मानक मद-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

10 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 1887/XXVII(2)/2004, दिनांक 23 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मदन सिंह)
सचिव।

संख्या : 07 /XVII(1)-2/2005-10(07)/2005, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तरांचल।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीषा रौतेली)
उप सचिव।